न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/82/2023

अपीलांट लतीफ खान पुत्र शुमर खान
निवासी इटादा, धनाउ

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

आदेश

दिनांक : 27.06.2023

अपीलार्थी लतीफ खान पुत्र शुमर खान निवासी इटादा, धनाउ ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 16.05.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय पोस्टल ऑर्डरं की प्रति दिनांक 08.04.2023 संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा जवाब मय प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि मंत्रालयिक कर्मचारी सामुहिक अवकाश पर होने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। इस जवाब की प्रति अपीलांट को पृष्ठांकन नहीं की गई है।

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट के जवाब का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना हेतु नकल आवेदन किया जा सकता है एवं अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत होता है। रेस्पोडेंट द्वारा सूचना देने में हुए विलंब का जो कारण प्रकट किया है वो सदभाविक है, तथा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि रेकर्ड की यथा उपलब्धता [illegible] द्वारा वांछित सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली निर्णय [illegible] हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arun Kumar Purohit
Date: 2023.07.21 12:18:13 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 27.06.2023 को न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)